

भोपाल स्थिति ग्लोबल स्कलि पार्क का नाम संत शशिमणि रविदास जी महाराज

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2022 को संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्कलि पार्क का नाम संत शशिमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने कई कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- भोपाल में स्थापित होने वाले ग्लोबल स्कलि पार्क में युवा अभिनिर्दिष्ट वृद्धियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म-निर्भर हो सकेंगे।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को रोजगार देने के लिये संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना तथा वित्त पोषण योजना आरंभ करने की घोषणा की।
- मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय पर संत रविदास जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- संत रविदास (रैदास) का जन्म काशी में माघ पूर्णमासी को हुआ था। इसलिये प्रत्येक माघ महीने की पूर्णमासी तारीख पर संत रविदास की जयंती मनाई जाती है।
- इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धरवर्णिनी था जबकि पत्नी का नाम लोना बताया जाता है।
- इनके माता-पिता एक चर्मकार थे। आजीविका के लिये अपने पैतृक कार्य को अपनाने के बावजूद ये हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहे।
- कबीर के बाद रविदास संत रामानंद के शिष्यों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए।
- इनके पद्य सिक्रियों के पवित्र ग्रंथ 'गुरुग्रंथ साहबि' में संगृहीत हैं।
- संत रविदास जी की वाणी सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली थी। उन्होंने शर्म के महत्त्व, समानता, असहायों की सेवा के लिये जन-जन को प्रेरित किया।
- मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति विर्ग के युवाओं को रोजगार के लिये विशेष पहल की गई है। संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति विर्ग के युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिये एक लाख से 50 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिये 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- इसी प्रकार सर्विस सेक्टर और रटिल ट्रेड के लिये भी योजना में एक लाख से 25 लाख तक ऋण की व्यवस्था होगी। योजना का संचालन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नगिम के माध्यम से किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में अनुसूचित जाति विर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिये दो करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति विर्ग के हतिग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिये एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना आरंभ की जा रही है। योजनाओं का संचालन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नगिम के माध्यम से किया जाएगा।